

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-27092024-257552
SG-DL-E-27092024-257552असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 26, 2024/आश्विन 4, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 195
No. 40]	NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 26, 2024/ASVINA 4, 1946	[N. C. T. D. No. 195

भाग II—I
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 26 सितम्बर, 2024

सं. 73/गजट/पी.एफ./अधिवर्षिता/2024.—दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी व वर्तमान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तरी जिला, रोहिणी न्यायालय, के रूप में नियुक्त श्री विनय कुमार खन्ना दिनांक 31 जनवरी, 2025 (अपराहन) को 60 वर्ष की अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनय कुमार खन्ना के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के अंतर्गत किसी प्रकार की अनुशासनात्मक/विभागीय कार्यवाही लंबित या विचाराधीन नहीं है।

न्यायालय के आदेशानुसार,

कंवल जीत अरोड़ा, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI AT : NEW DELHI**NOTIFICATION**

Delhi, the 26th September, 2024

No. 73/Gaz/P.F./Superannuation/2024.—Mr. Vinay Kumar Khanna, Officer of Delhi Higher Judicial Service and presently posted as Principal District & Sessions Judge, North District, Rohini Court, shall stand retired from Delhi Higher Judicial Service in the afternoon of 31st January, 2025 on attaining the age of superannuation of 60 years.

It is certified that no disciplinary/departmental proceedings under All India Service (Discipline & Appeal) Rules, 1969 is pending or contemplated against Mr. Vinay Kumar Khanna.

By Order of the Court,

KANWAL JEET ARORA, Registrar General